अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6338 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) नियम, 2016 के नियम-7 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (ii), के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ii) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से, फल और सब्जी उत्पादों के प्रति माल न्यूनतम 500 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 3353(ई) दिनांक 28 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6338(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules, 2016, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control, Inspection) Rules, 2016, for clause (ii) of sub-rule (1) of rule 7, the following clause shall be substituted, namely: -

"(ii). a fee at the rate of 0.15 percent of the freight on board value shall be payable subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the fruit and vegetable products to the Agency and subject to maximum of Rs. Twenty Five lakh per annum per exporter/processor.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note. - The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 3353 (E) dated the 28th October, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6339 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-